18.07.19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खाते की भूमि वाके ग्राम सूडसर के खसरा नम्बर 24 में तादादी 5.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 176 में तादादी 6.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 217 में तादादी 4.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 236 में तादादी 5.03 हेक्टर कुल किता 4 तादादी 21.67 हेक्टर भूमि स्थित है। जिसमें अपीलांट संख्या 1 का 293/1714 हिस्सा तथा अपीलांट संख्या 2 का 125/1714 हिस्सा निहित है जिसका बाहमी बंटवारा 50 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा अपीलांट्स उक्त बाहमी बंटवारें के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनराम द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत करते हुए अपीलांट्स की फर्जी तामील करवाते हुए मौके व कब्जे काश्त के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करवाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि विभाजन के मामलों में यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि सभी पक्षकारों की मौजूदगी में संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार करवाते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व कब्जे काश्त को ध्यान में रखे बिना केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर अपील की पालना स्थगित फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि चूंकि प्रकरण में आदेश जैर अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री जारी करते समय पक्षकारों के कब्जे काश्त की स्थिति को ध्यान में रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत मामलें में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति में स्पष्ट है कि अपीलांट्स/प्रतिवादीगणों को समन विधि सम्मत तरीके से तामील करवाये बिना उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 को नजरअंदाज करते हुए तथा बिना तिथि अंकित किये अंतिम डिक्री जारी की गई है। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–07–2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौके पर पक्षकारों की मौजूदगी में उनके हिस्से तथा कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जावे तथा सहखातेदारों को सुनवाई का मौका देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner